



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

, प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2008/वैसाख 3, 1930

No. 217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2008/VAISAKHA 3, 1930

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 301(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ)-(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 18 का संशोधन :- सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में "अनुसूचित जनजाति" शब्दों के स्थान पर "और अन्य पिछड़े वर्ग" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. अनुसूची 2 का संशोधन - उक्त नियमों की अनुसूची 2 में, -

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (4) में आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (12000-375-16500 रु.) में ऐसा अधिकारी जिसने उस परीक्षा वर्ष के, जिसके आधार पर उसे भर्ती किया गया था, ठीक बाद के वर्ष से संगणित वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है";

(ii) टिप्पण 1 में, "उस परीक्षा का, जिसके माध्यम से सदस्य भर्ती किया गया था, के वर्ष की पहली जनवरी के बाद गणना की जाएगी" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की पहली जनवरी, जिसमें रिक्तियां होती हैं निर्णायक तारीख होगी।"

[फा. सं. ए-12018/1/2006 श्रेणी 'क']

संजीव मिश्रा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

पाद टिप्पण :- मूल नियम वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (महालेखा नियंत्रक) द्वारा भारत के राजपत्र तारीख 8 नवम्बर, 2006 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 694 (अ) तारीख 6 नवम्बर, 2006 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
(Controller General of Accounts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2008

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Civil Account Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 18.- In the Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 18, after the words "Scheduled Tribes", the words "and Other Backward Classes" shall be inserted.

3. Amendment of Schedule II.- In Schedule II to the said rules,-

(i) against S.No.4, for the entries occurring in column (4), the following entries shall be substituted, namely,-

"Officer in the Junior Administrative Grade (Rs.12000-375-16500) who has entered 14th year of service on the 1st of January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which he or she was recruited";

(ii) in Note 1, for the portion beginning with figure, letters and words "1st of January" and ending with the words "was recruited", the following shall be substituted, namely,-

"1st January of the year to which the vacancies falls shall be crucial date for determining the eligibility of officers for promotion to various grades,".

[F. No. A-12018/1/2006/Gr.A]

SANJEEV MISHRA, Joint Controller General of Accounts

Footnote: The Principal rules were published by the Ministry of Finance (Department of Expenditure)(Controller General of Accounts), vide Notification number G.S.R.694 (E) dated 6th November, 2006, in the Official Gazette of India dated 8th November, 2006.